उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)
14 – अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या:–2427–पें0एवंआर0–28/पाकालि/11–60–पी–98–टी0सी0 **दिनांक: 19 अगस्त, 2011**

समस्त प्रबन्ध निदेशक डिस्काम, लखनऊ/वाराणसी/आगरा/
मेरठ/केस्को/ट्रान्सको, लखनऊ।
समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ट्रान्सको/
डिस्काम्स/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल।

विषयः– पेंशन पुनरीक्षण प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कारपोरेशन के संज्ञान में आया है कि कारपोरेशन के आदेश सं0–981–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010–4–काविनी/94 दिनांक 14 अगस्त 2010 सपठित आदेश सं0–1094–काविनी एवं वे0प्र0–29/पाकालि/2010–4–काविनी/94 दिनांक 01 सितम्बर 2010 के द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिकों को भी तृतीय समयबद्ध वेतनमान (दिनांक 19.02.2009 से पूर्व अनुमन्य कराये गये) दिनांक 01.01.1996 अथवा 19 वर्ष की अनवरत् सेवा पूर्ण करने पर वास्तविक अनुमन्यता तिथि से, जो भी बाद में हो, से अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 20.07.2010 से प्रकल्पित वेतन के आधार पर अनुमन्य होगी, के आदेश निर्गत किये गये, कारपोरेशन के आदेश संख्या–5226–पें0एवंआर0–28/पाकालि/10–60पी–98टीसी–1 दिनांक 22 नवम्बर 2010 के द्वारा उ0प्र0 शासन की अनुरूपता में उक्त आदेशों को दृष्टिगत रखते हुए 01 जनवरी 2006 से पूर्व कारपोरेशन में लागू वेतनमान तथा दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैंड के आधार पर न्यूनतम पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्यता के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे। ***उक्त आदेशों का सभी पेंशन प्राधिकृत इकाईयों/पेंशन आहरण एवं वितरण इकाईयों द्वारा पूर्णरूप से अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन पुनरीक्षण के जो प्राधिकार पत्र निर्गत किये जा रहे है वे केवल अपुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर निर्गत किये जा रहे हैं जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ पूर्णरूपेण नहीं मिल पा रहा है।***

अतः निदेशक, (कार्मिक प्रबन्ध एवं प्रशासन) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 शक्ति भवन, लखनऊ द्वारा कारपोरेशन के ***उपरोक्त आदेशों को पूर्णता संज्ञानित करते हुये पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार पत्र पेंशन प्राधिकृत इकाईयों/पेंशन आहरण एवं वितरण इकाईयों द्वारा निर्गत किये जाने तथा पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कारपोरेशन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का कड़ाई के साथ अभीष्ठ अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में आदेश दिये गये है*** जिससे सेवानिवृत्त कार्मिकों को पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ पूर्णरूपेण प्राप्त हो सके।

भवदीय,
(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

संख्या :–2427(I)पें0एवंआर0–28/पाकालि0/11 तददिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **कारपोरेशन मुख्यालय/केन्द्रीय लेखा कार्यालय,** शक्ति भवन (मुख्या0)/विस्तार स्थित **समस्त लेखाधिकारी।**
2. **समस्त अधीक्षण अभियन्ता,** उ0प्र0पाकालि/डिस्काम/ट्रान्सको/केस्को।
3. **समस्त अधिशासी अभियन्ता,** उ0प्र0पाकालि/डिस्काम/ट्रान्सको/केस्को।
4. **समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी,** उ0प्र0पाकालि/डिस्काम/ट्रान्सको/केस्को।
5. **अधिशासी अभियन्ता (वेब साइट),** उ0प्र0पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को **उ0प्र0पाकालि0 की वेब साइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।**

आज्ञा से,
(एच0सी0 लाल)
अनु सचिव (पें0एवंआर0)

माई कम्प्यूटर/डी/बैक आप माई डाक्यूमैण्ट/पेंशन/lalsir